शिविर कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर।

संख्या 3466/ओएसडी/डीएम/कोरोना–रोकथाम–2020 दिनांक : 24–03–2020

आदेश

कोविड-19 (कोरोना वायरस) को महामारी डिसीज घोषित करते हुए इसके रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन द्वारा दिनांक 23 से 25 मार्च तक ''लॉकडाउन'' करने के निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में इस कार्यालय द्वारा ''लॉकडाउन'' हेतु जारी आदेश संख्या–3461/ओएसडी/डीएम–कोरोना–2020 दिनांक 22–03–2020 एवं आदेश संख्या–3463/ओएसडी/डीएम/कोरोना–2020 दिनांक 23–03–2020 जारी किये गया था। पुनः उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–692/पांच–5–2020 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सूची में कतिपय अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया गया है। अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत पूर्व दोनों आदेशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. वर्तमान परिपेक्ष्य में निम्न अन्य सेवाओं को भी आवश्यक सेवाओं के रूप में परिभाषित किया जाताहैः–

   क– खाद्य एवं रसद (फल/सब्जी/दूध/डेरी/किराना/पेयजल/चिकेन/अण्डा/मीट)

   ख– बैंक/ए0टी0एम0/बीमा कम्पनियां/विभिन्न एजेन्सियां के वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड।

   ग– पशु–पक्षी चिकित्सा एवं पशु–पक्षी, मत्स्य आहार से संबंधित इकाईयां एवं विक्रेता।

   सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, पशु–पक्षी, मुर्गी, मछली चारा ढुलाई करने वाले वाहन, चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन सहित, प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।

2. जनता की सुविधा के दृष्टिगत सभी आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं संबंधी दुकानें आज दिनांक 24–03–2020 को सांय 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खुली रहेंगी।
3. आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं संबंधी दुकानें लॉकडाउन अवधि में प्रतिदिन प्रातः 04.00 बजे से प्रातः11.00 बजे तक खुली रहेंगी।
4. पूर्व में निर्गत आदेश आदेश संख्या–3461/ओएसडी/डीएम– कोरोना–2020 दिनांक 22–03–2020 एवं आदेश संख्या–3463/ओएसडी/डीएम/कोरोना–2020 दिनांक–23–03–2020 की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगीं।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट
कानपुर नगर।

पृष्ठांकन संख्या–3466-A/ओ0एसडी0/2020/तददिनांकित ।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1–आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
2–डी0आई0जी0/एस0एस0पी0, कानपुर नगर को सूचनार्थ।
3–कमोडोर, चकेरी, कानपुर नगर।
4–कमाण्डिंग आफीसर, स्पेशल कमाण्ड, कानपुर ।
5–नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर नगर।
6–डिप्टी सी0टी0एम0, उत्तर मध्य रेलवे, कानपुर सेण्ट्रल, कानपुर।
7–मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
8–मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर।
9–समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
8–समस्त पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
9–सी0ई0ओ0, कैण्टोनमेंट बोर्ड, कैण्ट, कानपुर नगर।
10–उप श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर नगर।
11–समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, कानपुर नगर।
12–नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
13–लीड बैंक मैनेजर, कानपुर नगर।

Scanned with CamScanner

14–समस्त नगरीय निकाय, कानपुर नगर।
15–उप निदेशक, सूचना, कानपुर को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
16–समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, कानपुर नगर।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट
कानपुर नगर।

Scanned with CamScanner